ांसी लगाकर दी जान : जासं, वाराणसी : बीएचयू के बीए तृतीय वर्ष (इतिहास) के छात्र ने शुक्रवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

कता है, जिस हेतु सीलबन्द निविदाएँ दिनांक 03.04.2017 को अपरान्ह 2.00 क कार्यालय-क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश वन निगम, चतुर्थ तल, संगम प्लेस, लाइन्स, इलाहाबाद में रजिस्टर्ड डाक/हाथ से आमंत्रित की जाती है, जो उक्त 03.04.2017 को ही अपरान्ह 3.00 बजे क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश वन निगम, बाद के कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा थ रू0 5000.00 (पाँच हजार मात्र) की एफ0डी0 बन्धक धनराशि जो क्षेत्रीय, उत्तर प्रदेश वन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक से बना हो, संलग्न अनिवार्य होगा। बिना जमानत राशि के निविदा अवैध मानी जायेगी। निविदा फार्म 24.03.2017 से दिनांक 02.04.2017 तक कार्यालय दिवस में किसी भी दिन किये जा सकते हैं। निविदा के साथ सर्विस टैक्स/श्रम विभाग, ई0पी0एफ0 एवं 0आई0 से सम्बन्धित पंजीकरण प्रमाण पत्र, चरित्र-प्रमाण पत्र, टिन एवं पैन क की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

ार्य का विवरण	मात्रा	निविदा मूल्य	प्रतिभूति की धनराशि
म्प्यूटर संचालन का कार्य फर्म उपलब्ध कराये जाने वाले यूटर आपरेटरों की शैक्षिक ग्ता इण्टरमीडिएट के साथ एक कम्प्यूटर डिप्लोमा/ओ लेवल हिन्दी/अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान।	14 आवश्यकतानुसार मात्रा घटायी/बढ़ाई जा सकती है।	रू0 100.00 प्रति	रू0 5000.00
ालक हेतु (कुशल श्रमिक के रूप में)	आवश्यकतानुसार		
चौकीदार हेतु (अकुशल श्रमिक रूप में)	आवश्यकतानुसार		

(एस.के. शर्मा)
क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद

वाले मामले में एसएसपी ने जांच शुरू करा दी है। आरोप की जद में आए पुलिस वालों ने शिकायत को षड़यंत्र बताया है।

मऊआइमा के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी गांव के ही युवक के साथ 26 फरवरी को घर से भाग गई थी। राहुल पटेल, रामअभिलाष और राम कैलाश के खिलाफ फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। किशोरी का कहना है कि उसे फाफामऊ और दिल्ली में रखा गया। एक मार्च को वह मिल गई। उसे मऊआइमा थाने की महिला कांस्टेबल कलावती के साथ रखा गया। अनु का आरोप है कि महिला सिपाही जबरन मोबाइल पर राहुल से उसकी बात कराती रही। मेडिकल और 164 का बयान कराने के नाम पर छह दिन उसे थाने पर रखा गया। एक रात इंस्पेक्टर मऊआइमा बृजेश बघेल ने थाना परिसर में बने अपने कमरे में बुलाया। दारोगा जितेंद्र सिंह और महिला कांस्टेबल उसे इंस्पेक्टर के कमरे में छोड़कर चली गई। किशोरी का आरोप है कि इंस्पेक्टर और दारोगा ने उसकी आबरू लूटी और धमकी दी कि मुंह खोला तो पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद उसे घर भेज दिया गया। किशोरी का आरोप है कि 16 मार्च को उसने इस बात की शिकायत एसपी गंगापार मुन्ना लाल से की तो रात में वह इंस्पेक्टर को लेकर घर पहुंचे। वहां एसपी ने कहा कि इंस्पेक्टर अपनी गलती मान रहे हैं। उन्होंने इंस्पेक्टर से पांच हजार रुपये दिलवाए और चुप रहने की हिदायत दी। साथ ही यह भी भरोसा दिलाया कि शादी का सारा खर्च इंस्पेक्टर उठाएंगे। एसएसपी शलभ माथुर का कहना है कि किशोरी बार-बार अपना बयान बदलती रही है। उसका 164 का बयान दर्ज हो चुका है। फिर भी उसने जो आरोप लगाए हैं, उसकी गंभीरता से जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

फर्रुखाबाद में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म

संवाद सहयोगी, फर्रुखाबाद : लकड़ी बीनने गई किशोरी के साथ गांव के ही तीन लड़कों ने नशीली मिठाई खिलाकर दुष्कर्म किया। परिवारीजनों को किशोरी बेहोशी की हालत में खेत में मिली।

भाजपाइयों के जुलूस निकालने पर मारपीट

जासं, सम्भल : योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद भाजपाइयों ने पूरे शहर में बाइक जुलूस निकाला। मुख्य बाजार में धार्मिक स्थल के पास से जुलूस निकलते समय दूसरे सम्प्रदाय के लोगों के साथ भाजपाइयों की नोकझोंक हो गई। मारपीट भी हुई। इसमें तीन भाजपा कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। भाजपा नेताओं ने थाने पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। जुलूस में कोई 25 युवा शामिल थे। धार्मिक स्थल के पास सड़क पर चल रहे दूसरे सम्प्रदाय के दो युवकों को बाइक से टक्कर लग गई। इस पर उनकी नोकझोंक शुरू हो गई। इसी बीच आसपास के कुछ और युवक आ गए और भाजपाइयों को पीट कर घायल कर दिया। जानकारी पर भाजपा नेताओं ने थाने पहुंच आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दूसरे पक्ष का आरोप है कि भाजपाई नारेबाजी करते हुए कह रहे थे कि यहां से निकाला जाएगा। इस पर ही विरोध किया गया था।

प्रमुख सचिव के नाम पर अभियंता से ठगी

जासं, फर्रुखाबाद : साइबर क्राइम के अपराधी ने प्रमुख सचिव सिंचाई के नाम पर अधिशासी अभियंता को फोन कर पेटीएम से रुपये ट्रांसफर करवा लिए। मामले में फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिंचाई खंड के अधिशासी अभियंता आलोक चतुर्वेदी ने पुलिस को दिए बताया है कि 16 मार्च की सुबह मोबाइल नंबर 8481846537 से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग लखनऊ सुरेश चंद्रा बताया।

सेना भर्ती फर्जीवाड़े में आदित्य का कुर्की वारंट

जागरण संवाददाता, बरेली : सेना भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में फरार मास्टरमाइंड आदित्य चौहान का क्राइम ब्रांच ने कुर्की वारंट हासिल कर लिया है। उच्च अधिकारियों का आदेश मिलने के बाद टीम कुर्की करने के लिए मेरठ जाएगी। वहीं तीन अन्य मामलों में भी क्राइम ब्रांच आदित्य चौहान का कुर्की वारंट हासिल करने का प्रयास कर रही है। यह जानकारी विवेचक इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र त्यागी और एसआइ संतराम वर्मा ने दी।

लखनऊ नगर निगम

लालबाग, टी.एन.रोड लखनऊ-226001 (उ0प्र0) ई-मेल- nnlko@up.nic.in टेली फैक्स: 0522-2622440

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर निगम लखनऊ में पंजीकृत ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण की सीमान्तर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु दिनांक 5.03.17 को मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र दिनांक 24.03.17 तक अपरान्ह 2.00 बजे तक फार्म कीपर ार्यालय के अतिरिक्त अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियन्ता एवं वरिष्ठ वित्त लेखाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है ा नगर निगम की वेबसाइट upgov.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा दिनांक 25.03.17 को अपरान्ह 15.00 बजे तक जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय एवं मण्डलायुक्त लखनऊ के कार्यालय कक्ष में तथा अपर नगर आयुक्त प्रथम व मुख्य अभियन्ता के कार्यालय कक्ष में रखे निविदा बाक्स में डाली जा सकती है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 25.03.17 को अपरान्ह 4 बजे मुख्य अभियन्ता के समक्ष खोला जायेगा। यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को डाली एवं खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। पेवर कार्य हेतु निविदादाता के पास स्वंय का कम्प्यूटराइज हाट मिक्स प्लान्ट व ब्राइवेटर होना आवश्यक है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	जमानत धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	4 प्रतिशत वाणिज्य कर	कुल निविदा मूल्य वाणिज्य कर सहित
1	खरिका वार्ड के अन्तर्गत राजीवनगर घोसियाना में हर गोविन्द तिवारी के घर से कंचन के घर के पास नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	5000.00	2 माह	500.00	20.00	520.00
2	इब्राहिमपुर वार्ड के अन्तर्गत दुर्गापुरी में आर0पी0 यादव के दामाद के घर से गंगाराम व ट्रान्सफार्मर से टी0एस0 मिश्रा के घर के पास नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	8000.00	2 माह	800.00	32.00	832.00
3	शारदानगर वार्ड के अन्तर्गत सनानी विहार में म0स0 333 से 256 तक एवं म0स0 304 ए के बगल क्षतिग्रस्त रोड का सुधार कार्य।	5500.00	2 माह	550.00	22.00	572.00
4	शारदानगर वार्ड के अन्तर्गत सेनानी विहार में रावत जनरल स्टोर से म0स0 227 सी तक क्षतिग्रस्त रोड का सुधार कार्य।	5000.00	2 माह	500.00	20.00	520.00
5	शारदानगर वार्ड के अन्तर्गत रश्मिखण्ड 5 में म0स0--2/576 के बगल एवं सैनिक नगर मे म0स0 50 से 245 (गली न0 6) तक क्षतिग्रस्त रोड का सुधार कार्य।	8000.00	2 माह	800.00	32.00	832.00
6	शारदानगर वार्ड के अन्तर्गत रजनीखण्ड द्वितीय में म0सं0--2/281 से 2/247 तक एवं 2/232 तक क्षतिग्रस्त रोड का सुधार कार्य।	7500.00	2 माह	750.00	30.00	780.00
7	खरिका वार्ड के अन्तर्गत मो0 रमजान नगर में अयाज अहमद के मकान अहमद के मकाने से रियाज एवं मुन्ना यादव वाली गली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	6000.00	2 माह	600.00	24.00	624.00
8	खरिका वार्ड के अन्तर्गत मो0 शिव विहार में अवधेश के सामने से बहरायची के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	7500.00	2 माह	750.00	30.00	780.00
9	इब्राहिमपुरवार्ड के अन्तर्गत सरस्वतीपुरम के राधेकृष्ण आश्रम से जीवन नर्सिंग होम तक नाली व सड़क का सुधार कार्य।	8000.00	2 माह	800.00	32.00	832.00
10	विद्यावती द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर –एच में जी0आर0 गुप्ता म0सं0--डी/1/413 से ई–1/503 तक (पंचवटी पार्क रोड) तक नाली का निर्माण कार्य।	5000.00	2 माह	500.00	20.00	520.00
11	शारदानगर वार्ड के अन्तर्गत एल्डिको द्वितीय में डी0पी0एस0 स्कूल के पास पार्क की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण का कार्य।	8000.00	2 माह	800.00	32.00	832.00
12	शारदानगर वार्ड के अन्तर्गता रश्मिखण्ड 2 मे 2/624 के सामने पार्क की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण का कार्य।	3000.00	2 माह	300.00	12.00	312.00
13	विद्यावती वार्ड प्रथम के अन्तर्गत सेक्टर एल0 में एल 23 से सेट टरेसा स्कूल के सामने तक सड़क मरम्मत का कार्य।	8000.00	2 माह	800.00	32.00	832.00
14	राजाबिजली पासी वार्ड के अन्तर्गत मो0 शान्तीनगर में जामिनी त्रिपाठी के बगल से अजय यादव के आगे तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	5500.00	2 माह	550.00	22.00	572.00
15	हिन्दनगर वार्ड के अन्तर्गत बल्दीखेड़ा गांव में अवध कालेजियेट स्कूल के पीछे पार्क का निर्माण कार्य।	8000.00	2 माह	800.00	32.00	832.00
16	विद्यावती द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर –एच में एसएस/1660 व एसएस/1708 एवं एसएस/1819 के पास नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	5500.00	2 माह	550.00	22.00	572.00
17	विद्यावती द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर –एच में एसएस/1701 व एसएस/1689 के पास नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	6000.00	2 माह	600.00	24.00	624.00
18	विद्यावती द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर–एच में गुलाचीन पार्क के पास साइड पटरी पर नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	4000.00	2 माह	400.00	16.00	416.00
19	हिन्दनगर वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर डी में स्थित एच 2/42 के सामने तिकुनिया पार्क की मरम्मत एवं सौन्दीयकरण कार्य।	8000.00	2 माह	800.00	32.00	832.00

नोट–समस्त नियम/शर्तो का उल्लेख टेण्डर प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध है

मुख्य अभियन्ता

नगर निगम से सम्बन्धित शिकायतों हेतु www.lnnpgrs.in अथवा दूरभाष संख्या– 0522–2307770, 2307782, 2307783 पर सम्पर्क करें।

बसपा प्रदेश अध्यक्ष के बेटे ने चालक को पीटा

Think Today, Change Tomorrow
To Be Affiliated To CBSE
Lucknow

उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(जैवविविधता अधिनियम, 2002, भारत सरकार, के अन्तर्गत गठित स्वायत्त, संवैधानिक/नियामक संस्था)

पत्रांक: 464/4–11(28–1) दिनांक: 16.03.2017

वैधानिक सूचना

जैव संसाधन (Biological Resource) के वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Utilization) करने वाले व्यक्ति/संस्था/उद्योगों द्वारा अर्जित लाभांश को जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा "जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014" के प्राविधानों के अन्तर्गत जैव विविधता प्रबंध समिति/कृषकों के मध्य वितरित कर आर्थिक मदद करना।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपादित जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत जैव संसाधन (Biological Resource) के वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Utilization) करने वाले व्यक्ति/संस्था/उद्योगों द्वारा अर्जित लाभांश को "जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014" के प्राविधानों के अनुपालन में अधिनियम की धारा 07, 24, 53 तथा जैव विविधता नियम, 2004 के प्ररूप–1 व विनियम, 2014 के प्ररूप– 'क' में रू0 10000/– फीस (सचिव, उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के पक्ष में, लखनऊ में देय बैंक ड्राफ्ट) के साथ सचिव, उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के पूर्व रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट से भेजा जाना अनिवार्य है। यह सूचना उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के ईमेल: upstatebiodiversityboard@gmail.com के माध्यम से भी प्रेषित किया जा सकता है। फीस की धनराशि बोर्ड के पंजाब नेशनल बैंक के बचत खाता (SB) संख्या–6193000100001887 तथा IFSC Code-PUNB0619300 में आर. टी.जी.एस. के माध्यम से भी जमा की जा सकती है, जिसका विवरण ईमेल में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

तत्पश्चात् अधिनियम, 2002 की धारा 53 तथा विनियम, 2014 के संख्या 2, 3, 4 आदि के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुबंध के माध्यम से लाभांश उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के द्वारा पारित आदेश के क्रम में बोर्ड के खाते में जमा करना होगा। इस लाभांश का 95 प्रतिशत भाग जैवविविधता प्रबंध समिति/कृषकों के मध्य वितरित कर उनकी आर्थिक मदद की जायेगी।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के अनुपालन हेतु मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ओ.ए. 347/2016 चन्द्रभाल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य भी दाखिल है, जिसकी सुनवाई प्रचलित है।

"जैव संसाधन" (Biological Resource) : "जैव संसाधनों" से पौधे, जीव–जन्तु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग, वास्तविक या सम्भावित उपयोग या मूल्य सहित उनके आनुवंशिक पदार्थ और उपोत्पाद मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत मानव आनुवांशिक पदार्थ नहीं है;

"biological resources" means plants, animals and micro-organisms or parts thereof, their genetic material and by-products (excluding value added products) with actual or potential use or value, but does not include human genetic material;

"वाणिज्यिक उपयोग" (Commercial Utilization) : "वाणिज्यिक उपयोग" से वाणिज्य उपयोग के लिए जैसे आनुवंशिक व्यवधान के माध्यम से फसल और पशुधन में सुधार करने के लिए प्रयुक्त औषधि, औद्योगिक किण्वक, खाद्य सुगंध, सुवास, प्रसाधन, पायसीकारक, तैलराल, रंग, सत्त और जीन; वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधनों का अंतिम उपयोग अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत किसी कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, दुग्ध उद्योग, पशुपालन या मधुमक्खी पालन में उपयोग में आने वाला पारंपरिक प्रजनन या परंपरागत पद्धतियां नहीं हैं;

"commercial utilization" means end uses of biological resources for commercial utilization such as drugs, industrial enzymes, food flavours, fragrance, cosmetics, emulsifiers, oleoresins, colours, extracts and genes used for improving crops and livestock through genetic intervention, but does not include conventional breeding or traditional practices in use in any agriculture, horticulture, poultry, dairy farming, animal husbandry or bee keeping;

जैवविविधता अधिनियम, 2002 के तहत् शस्ति–

- धारा 53– इस धारा के अन्तर्गत बोर्ड के आदेश के उल्लघंन के फलस्वरूप अन्य विधिक कार्यवाही के साथ–साथ सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय भी किये जाने का प्राविधान है।
- धारा 55–धारा 7 का उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक कारावास अथवा पाँच लाख रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों।
- धारा 56– जैव विविधता बोर्ड के निर्देश/आदेश का पालन नही करने पर रू0 2 लाख तक प्रतिदिन के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है, जो कि उल्लघंन होने तक किया जा सकता है।
- धारा 57 (1) –किसी कंपनी/संस्थान के द्वारा उल्लंघन किये जाने पर कंपनी एवं उसके सभी संचालक/भारसाधक अधिकारी उल्लंघन के लिए दोषी समझे जायेगें और तदनुसार वे सभी उपर्युक्त अपराध के लिए दण्डित किये जा सकते हैं।
- विस्तृत जानकारी वेबसाईट http://www.upsbdb.org/ पर उपलब्ध है।
- अतः समस्त सबंधित को यह निर्देश दिया जाता है कि अधिनियम/नियम/विनियम का अनुपालन इस प्रकाशन के 30 दिन के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाये अन्यथा बाध्य होकर अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- लाभांश का 95 प्रतिशत भाग जैव विविधता प्रबंध समिति/कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रदेश के जन सामान्य से यह अनुरोध है कि आपकी जानकारी में कहीं जैव संसाधन आधारित उद्योग कार्यरत् हों तो विवरण सहित इस कार्यालय को अवगत करायें। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।

(पवन कुमार)
सचिव,
उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड,
पूर्वी विंग, तृतीय तल, ए–ब्लाक,
पिकप भवन, विभूति खण्ड, लखनऊ–226 010

UP-115743 दिनॉक 17.03.2017 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(जैवविविधता अधिनियम, 2002, भारत सरकार, के अन्तर्गत गठित स्वायत्त, सवैधानिक/नियामक संस्था)

पत्रांक: 464/4-11(28-1) दिनांक: 16-03-2017

वैधानिक सूचना

जैव संसाधन (Biological Resource) के वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Utilization) करने वाले व्यक्ति/संस्था/उद्योगों द्वारा अर्जित लाभांश को जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा "जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014" के प्राविधानों के अन्तर्गत जैव विविधता प्रबंध समिति/कृषकों के मध्य वितरित कर आर्थिक मदद करना।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपादित जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत जैव संसाधन (Biological Resource) के वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Utilization) करने वाले व्यक्ति/संस्था/उद्योगों द्वारा अर्जित लाभांश को "जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014" के प्राविधानों के अनुपालन में अधिनियम की धारा 07, 24, 53 तथा जैव विविधता नियम, 2004 के प्ररूप-1 व विनियम, 2014 के प्ररूप- 'क' में रू0 10000/- फीस (सचिव, उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के पक्ष में, लखनऊ में देय बैंक ड्राफ्ट) के साथ सचिव, उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के पूर्व रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट से भेजा जाना अनिवार्य है। यह सूचना उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के ईमेलः upstatebiodiversityboard@gmail.com के माध्यम से भी प्रेषित किया जा सकता है। फीस की धनराशि **बोर्ड के पंजाब नेशनल बैंक के बचत खाता (SB) संख्या-6193000100001887 तथा IFSC Code-PUNB0619300 में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भी जमा की जा सकती है, जिसका विवरण ईमेल में अंकित किया जाना अनिवार्य है।**

तत्पश्चात् अधिनियम, 2002 की धारा 53 तथा विनियम, 2014 के संख्या 2, 3, 4 आदि के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुबंध के माध्यम से लाभांश उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के द्वारा पारित आदेश के कम में बोर्ड के खाते में जमा करना होगा। इस लाभांश का 95 प्रतिशत भाग जैवविविधता प्रबंध समिति/कृषकों के मध्य वितरित कर उनकी आर्थिक मदद की जायेगी।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के अनुपालन हेतु मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ओ.ए. 347/2016 चन्द्रभाल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य भी दाखिल है, जिसकी सुनवाई प्रचलित है।

"जैव संसाधन" (Biological Resource) : "जैव संसाधनों" से पौधे, जीव-जन्तु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग, वास्तविक या सम्भावित उपयोग या मूल्य सहित उनके आनुवंशिक पदार्थ और उपोत्पाद मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत मानव आनुवांशिक पदार्थ नहीं है ;

"biological resources" means plants, animals and micro-organisms or parts thereof, their genetic material and by-products (excluding value added products) with actual or potential use or value, but does not include human genetic material;

"वाणिज्यिक उपयोग" (Commercial Utilization) : "वाणिज्यिक उपयोग" से वाणिज्य उपयोग के लिए जैसे आनुवंशिक व्यवधान के माध्यम से फसल और पशुधन में सुधार करने के लिए प्रयुक्त औषधि, औद्योगिक किण्वक, खाद्य सुगंध, सुवास, प्रसाधन, पायसीकारक, तैलराल, रंग, सत्त और जीन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधनों का अंतिम उपयोग अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत किसी कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, दुग्ध उद्योग, पशुपालन या मधुमक्खी पालन में उपयोग में आने वाला पारंपरिक प्रजनन या परंपरागत पद्धतियां नहीं हैं ;

"commercial utilization" means end uses of biological resources for commercial utilization such as drugs, industrial enzymes, food flavours, fragrance, cosmetics, emulsifiers, oleoresins, colours, extracts and genes used for improving crops and livestock through genetic intervention, but does not include conventional breeding or traditional practices in use in any agriculture, horticulture, poultry, dairy farming, animal husbandry or bee keeping;

जैवविविधता अधिनियम, 2002 के तहत शस्ति-

- धारा 53- इस धारा के अन्तर्गत बोर्ड के आदेश के उल्लघंन के फलस्वरूप अन्य विधिक कार्यवाही के साथ-साथ सम्पत्ति की कुर्की तथा विकय भी किये जाने का प्राविधान है।
- धारा 55-धारा 7 का उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक कारावास अथवा पाँच लाख रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों।
- धारा 56- जैव विविधता बोर्ड के निर्देश/आदेश का पालन नहीं करने पर रू0 2 लाख तक प्रतिदिन के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है, जो कि उल्लघंन होने तक किया जा सकता है।
- धारा 57 (1) -किसी कंपनी/संस्थान के द्वारा उल्लंघन किये जाने पर कंपनी एवं उसके सभी संचालक/भारसाधक अधिकारी उल्लंघन के लिए दोषी समझे जायेगें और तदनुसार वे सभी उपर्युक्त अपराध के लिए दण्डित किये जा सकते हैं।
- **विस्तृत जानकारी वेबसाईट http://www.upsbdb.org/ पर उपलब्ध है।**
- अतः समस्त सबंधित को यह निर्देश दिया जाता है कि अधिनियम/नियम/विनियम का अनुपालन इस प्रकाशन के 30 दिन के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाये अन्यथा बाध्य होकर अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- लाभांश का 95 प्रतिशत भाग जैव विविधता प्रबंध समिति/कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रदेश के जन सामान्य से यह अनुरोध है कि आपकी जानकारी में कहीं जैव संसाधन आधारित उद्योग कार्यरत् हों तो विवरण सहित इस कार्यालय को अवगत करायें। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।

(पवन कुमार)
सचिव
उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड, लखनऊ

UP-115743, Dt. 17.03.2017
Website : www.upgov.nic.in

उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(जैवविविधता अधिनियम, 2002, भारत सरकार, के अन्तर्गत गठित स्वायत्त, संवैधानिक/नियामक संस्था)

पत्रांक-464/4-11(28-1) दिनांक-16.03.2017

वैधानिक सूचना

जैव संसाधन (Biological Resource) के वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Utilization) करने वाले व्यक्ति/संस्था/उद्योगों द्वारा अर्जित लाभांश को जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा ''जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014'' के प्राविधानों के अन्तर्गत जैव विविधता प्रबंध समिति/कृषकों के मध्य वितरित कर आर्थिक मदद करना।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपादित जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत जैव संसाधन (Biological Resource) के वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Utilization) करने वाले व्यक्ति/संस्था/उद्योगों द्वारा अर्जित लाभांश को जैविक ''जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014'' के प्राविधानों के अनुपालन में अधिनियम की धारा 07, 24, 53 तथा जैव विविधता नियम, 2004

के प्ररुप-1 व विनियम, 2014 के प्ररुप-'क' में रु. 10000/-फीस (सचिव, उ.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के पक्ष में, लखनऊ में देय बैंक ड्राफ्ट) के साथ सचिव, उ.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के पूर्व रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड से भेजा जाना अनिवार्य है। यह सूचना उ.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के ईमेल: upstatebiodiversityboard@gmail.com के माध्यम से भी प्रेषित किया जा सकता है। फीस की धनराशि बोर्ड के पंजाब नेशनल बैंक के बचत खाता (SB) संख्या-6193000100001887 तथा IFSC Code- PUNB0619300 में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भी जमा की जा सकती है। जिसका विवरण ईमेल में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

तत्पश्चात् अधिनियम, 2002 की धारा 53 तथा विनियम, 2014 के संख्या 2,3,4 आदि के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुबन्ध के माध्यम से लाभांश उ.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के द्वारा पारित आदेश के क्रम में बोर्ड के खाते में जमा करना होगा। इस लाभांश का 95प्रतिशत भाग जैवविविधता प्रबंध समिति/कृषकों के मध्य वितरित कर उनकी आर्थिक मदद की जायेगी।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के अनुपालन हेतु मा. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ओ.ए. 347/2016 चन्द्रभाल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य भी दाखिल है, जिसकी सुनवाई प्रचलित है।

''जैव संसाधन'' (Biological Resource) ''जैव संसाधनों'' से पौधें, जीव-जन्तु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग, वास्तविक या सम्भावित उपयोग या मूल्य सहित उनके आनुवंशिक पदार्थ और उपोत्पाद मूल्यवर्धि उत्पादों को छोड़कर अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत मानव आनुवांशिक पदार्थ नहीं है-

''Biological Resource'' means plants, animals and micro-organisms or parts thereof, their genetical material and by-products (excluding value added products with actual or potential use or value, but does not include human genetic material;

वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Utilization) ''वाणिज्यिक उपयोग'' से वाणिज्य उपयोग के लिए जैसे आनुवंशिक व्यवधान के माध्यम से फसल और पशुधन में सुधार करने के लिए प्रयुक्त औषधि, औद्योगिक किण्वक, खाद्य सुगंध, सुवास, प्रसाधन, पायसीकारक, तैलराल, रंग, सत्त और जीन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधनों का अंतिम उपयोग अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत किसी कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, दुग्ध उद्योग, पशुपालन या मधुमक्खी पालन में उपयोग में आने वाला पारंपरिक प्रजनन या परंपरागत नही है:

''Commercial Utilization'' means and uses of biological resources for Commercial Utilization such as drugs, industrial enzymes, food flavours, fragrance, cosmetics, emulsifiers, oleoresins, colours, extracts and genes used for improving crops and livestock through genetic intervention, but does not include conventional breeding or traditional practices in use in any agriculture, horticulture, poultry, dairy farming, animal husbandry or bee keeping;

जैवविविधता अधिनियम, 2002 के तहत शस्ति-

* धारा 53-इस धारा के अन्तर्गत बोर्ड के आदेश के उल्लघंन के फलस्वरुप अन्य विधिक कार्यवाही के साथ-साथ सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय भी किये जाने का प्राविधान है।
* धारा 55-धारा 7 का उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक कारावास अथवा पाँच लाख रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों।
* धारा 56-धारा जैवविविता बोर्ड के निर्देश/आदेश का पालन नहीं करने पर रु. 2 लाख तक प्रतिदिन के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है, जो कि उल्लघंन होने तक किया जा सकता है।
* धारा 57-(1)-किसी कंपनी/संस्थान के द्वारा उल्लघंन किये जाने पर कंपनी एवं उसके सभी संचालन/भारसाधक अधिकारी उल्लघंन के लिए दोषी समझे जायेगें और तद्नुसार वे सभी उपर्युक्त अपराध के लिए दण्डित किये जा सकते है।
* विस्तृत जानकारी वेबसाईट http://www.upsbdb.org/ पर उपलब्ध है।
* अत: समस्त सबंधित को यह निर्देश दिया जाता है कि अधिनियम/नियम/विनियम का अनुपालन इस प्रकाशन के 30 दिन के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाये अन्यथा बाध्य होकर अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
* लाभांश का 95 प्रतिशत भाग जैव विविधता प्रबंध समिति/कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
* प्रदेश के जन सामान्य से यह अनुरोध है कि आपकी जानकारी में कहीं जैव संसाधन आधारित उद्योग कार्यरत हों तो विवरण सहित इस कार्यालय को अवगत करायें।

आपकी जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।

उ.प्र.-115743
दिनांक-17.03.2017

(पवन कुमार)
सचिव
उ.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड, लखनऊ

वेबसाइट-www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

[illegible]
[illegible]
[illegible]
E-mail: [illegible], Website: http://www.upsbdb.org

पत्रांक: [illegible] दिनांक: [illegible]-03-2017

वैधानिक सूचना

जैव संसाधन (Biological Resource) के वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Utilization) करने वाले व्यक्ति/संस्था/उद्योगों द्वारा अर्जित लाभांश को जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा "जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटवारा विनियम, 2014" के प्राविधानों के अंतर्गत जैव विविधता प्रबंध समिति/कृषकों के साथ विभाजित कर आर्थिक मदद करना।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रख्यापित जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जैव संसाधन (Biological Resource) के वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Utilization) करने वाले व्यक्ति/संस्था/उद्योगों द्वारा अर्जित लाभांश को "जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटवारा विनियम, 2014" के प्राविधानों के अनुपालन में अधिनियम की धारा 07, 24, 58 तथा जैव विविधता नियम, 2004 के प्रपत्र-1 व विनियम, 2014 के प्रपत्र-"क" में रु. 10000/- फीस (सचिव, उ.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के पक्ष में, लखनऊ में देय बैंक ड्राफ्ट) के साथ सचिव, उ.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के पूर्व रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट से भेजा जाना अनिवार्य है। यह सूचना उ.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के ईमेल upstatebiodiversityboard@gmail.com के माध्यम से भी प्रेषित किया जा सकता है। फीस की धनराशि बोर्ड के पंजाब नेशनल बैंक के बचत खाता (SB) संख्या-6193000100001887 तथा IFSC Code-PUNB0619300 से आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भी जमा की जा सकती है, जिसका विवरण ईमेल से अवगत किया जाना अनिवार्य है।

तत्पश्चात् अधिनियम, 2002 की धारा 58 तथा विनियम, 2014 के संलग्न 2, 3, 4 आदि के प्राविधानों के अंतर्गत अनुबंध के माध्यम से लाभांश उ.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के द्वारा पारित आदेश के क्रम में बोर्ड के खाते में जमा करना होगा। इस लाभांश का 95 प्रतिशत भाग जैवविविधता प्रबंध समिति/कृषकों के मध्य विभाजित कर उनकी आर्थिक मदद की जायेगी।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के अनुपालन हेतु मा. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ओ.ए. 347/2016 चन्द्रभाल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य भी लंबित है, जिसकी सुनवाई प्रचलित है।

"जैव संसाधन" (Biological Resource) : "जैव संसाधनों" से पौधे, जीव-जन्तु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग, आनुवंशिक या उत्पादित उपयोग या मूल्य सहित उनके आनुवंशिक पदार्थ और उपोत्पाद (मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर) अभिप्रेत हैं किन्तु इसके अंतर्गत मानव आनुवंशिक पदार्थ नहीं है;

"biological Resource" means plants, animals and micro-organisms or parts thereof, their genetic material and by-products (excluding value added products) with actual or potential use or value, but does not include human genetic material;

"वाणिज्यिक उपयोग" (Commercial Utilization) : "वाणिज्यिक उपयोग" से वाणिज्य उपयोग के लिए जैसे आनुवंशिक व्यवधान के माध्यम से फसल और पशुधन में सुधार करने के लिए प्रयुक्त औषधि, औद्योगिक किण्वक, खाद्य सुगंध, सुवास, प्रसाधन, पायसीकारक, तैलराल, रंग, सत्त और जीन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधनों का अंतिम उपयोग अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत किसी कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, दुग्ध उद्योग, पशुपालन या मधुमक्खी पालन में उपयोग में आने वाला पारम्परिक प्रजनन या परम्परागत पद्धतियां नहीं हैं;

"commercial utilization" means end uses of biological resources for commercial utilization such as drugs, industrial enzymes, food flavours, fragrance, cosmetics, emulsifiers, oleoresins, colours, extracts and genes used for improving crops and livestock through genetic intervention, but does not include conventional breeding or traditional practices in use in any agriculture, horticulture, poultry, dairy farming, animal husbandry or bee keeping;

जैवविविधता अधिनियम, 2002 के शास्ति प्राविधान-

- धारा 53- इस धारा के अंतर्गत बोर्ड के आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप अन्य विधिक कार्यवाही के साथ-साथ संपत्ति की कुर्की तथा विक्रय भी किए जाने का प्राविधान है।
- धारा 55- धारा 7 का उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक कारावास अथवा पांच लाख रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों।
- धारा 56- जैव विविधता बोर्ड के निर्देश/आदेश का पालन नहीं करने पर रु. 2 लाख तक प्रतिदिन के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, जो कि उल्लंघन होने तक लिया जा सकता है।
- धारा 57 (1)- किसी कंपनी/संस्थान के द्वारा उल्लंघन किए जाने पर कंपनी एवं उसके सभी संचालक/प्रबन्धक/अधिकारी उल्लंघन के लिए दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार वे सभी उपर्युक्त अपराध के लिए दंडित किए जा सकते हैं।
- **विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://www.upsbdb.org पर उपलब्ध है।**
- अतः सम्बन्धित संस्थान को यह निर्देश दिया जाता है कि अधिनियम/नियम/विनियम का अनुपालन इस प्रकाशन के 30 दिन के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाए अन्यथा बाध्य होकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
- लाभांश का 95 प्रतिशत भाग जैव विविधता प्रबंध समिति/कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रदेश के जन सामान्य से यह अनुरोध है कि आपकी जानकारी में कहीं जैव संसाधन आधारित उद्योग कार्यरत हो तो विवरण सहित इस कार्यालय को अवगत करायें। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।

ह०/-
(पवन कुमार)
सचिव
उ.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड, लखनऊ

UPID-115741 dt. 17.3.2017
www.up.gov.in

उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(जैवविविधता अधिनियम, 2002, भारत सरकार, के अन्तर्गत गठित स्वायत, सांविधानिक/नियामक संस्था)

पत्रांक: 464/4-11(28-1) दिनांक: 16-03-2017

वैधानिक सूचना

जैव संसाधन(Biological Resource) के वाणिज्यिक उपयोग(Commercial Utilization) करने वाले व्यक्ति/संस्था/उद्योगों द्वारा अर्जित लाभांश को जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा ''जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014'' के प्राविधानों के अन्तर्गत जैव विविधता प्रबंध समिति/कृषकों के मध्य वितरित कर आर्थिक मदद करना।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपादित जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत जैव संसाधन**(Biological Resource)** के वाणिज्यिक उपयोग **(Commercial Utilization)** करने वाले व्यक्ति/संस्था/उद्योगों द्वारा अर्जित लाभांश को ''जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014'' के प्राविधानों के अनुपालन में अधिनियम की धारा 07, 24, 53 तथा जैव विविधता नियम, 2004 के प्ररूप-1 व विनियम, 2014 के प्ररूप-'क' में रू0 10000/- फीस (सचिव, उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के पक्ष में, लखनऊ में देय बैंक ड्राफ्ट) के साथ सचिव, उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के पूर्व रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट से भेजा जाना अनिवार्य है। यहसूचना उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के ईमेल: upstatebiodiversityboard@gmail.com केमाध्यम से भी प्रेषित किया जा सकता है। फीस की धनराशि बोर्ड के पंजाब नेशनल बैंक केबचत खाता (एसबी) संख्या-6193000100001887 तथा IFSC Code-PUNB0619300 में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भी जमा की जा सकती है, जिसका विवरण ईमेल में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

तत्पश्चात् अधिनियम, 2002 की धारा 53 तथा विनियम, 2014 के संख्या 2, 3, 4 आदिके प्राविधानों के अन्तर्गत अनुबंध के माध्यम से लाभांश उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के द्वारापारित आदेश के क्रम में बोर्ड के खाते में जमा करना होगा। इस लाभांश का 95 प्रतिशत भाग जैवविविधता प्रबंध समिति/कृषकों के मध्य वितरित कर उनकी आर्थिक मदद की जायेगी।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के अनुपालन हेतु मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ओ.ए. 347/2016 चन्द्रभाल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य भी दाखिल है, जिसकी सुनवाई प्रचलित है।

''जैव संसाधन''(Biological Resource) : ''जैव संसाधनों'' से पौधे, जीव-जन्तु और सूक्ष्मजीव या उनके भाग, वास्तविक या सम्भावित उपयोग या मूल्य सहित उनके आनुवंशिक पदार्थऔर उपोत्पाद मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत मानव आनुवंशिक पदार्थ नहीं है

"biological resources" means plants, animals and micro-organisms or parts thereof, their genetic material and by-products (excluding value added products) with actual or potential use or value, but does not include human genetic material;

''वाणिज्यिक उपयोग'' (Commercial UtilizationMM;): ''वाणिज्यिक उपयोग'' से वाणिज्य उपयोग के लिए जैसे आनुवंशिक व्यवधान के माध्यम से फसल और पशुधन में सुधार करने के लिए प्रयुक्त औषधि, औद्योगिक किण्वक, खाद्य सुगंध, सुवास, प्रसाधन, पायसीकारक, तैलराल, रंग, सत्त और जीन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधनों का अंतिम उपयोग अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत किसी कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, दुग्ध उद्योग, पशुपालन या मधुमक्खी पालन में उपयोग में आने वाला पारंपरिक प्रजनन या परंपरागत पद्धतियां नहीं है ;

"commercial utilization" means end uses of biological resources for commercial utilization such as drugs, industrial enzymes, food flavours, fragrance, cosmetics, emulsifiers, oleoresins, colours, extracts and genes used for improving crops and livestock through genetic intervention, but does not include conventional breeding or traditional practices in use in any agriculture, horticulture, poultry, dairy farming, animal husbandry or bee keeping;

जैवविविधता अधिनियम, 2002 के तहत् शस्ति-

- धारा 53- इस धारा के अन्तर्गत बोर्ड के आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप अन्य विधिक कार्यवाही के साथ-साथ सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय भी किये जाने का प्राविधान है।
- धारा 55-धारा 7 का उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक कारावास अथवा पाँच लाख रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों।
- धारा 56- जैव विविधता बोर्ड के निर्देश/आदेश का पालन नहीं करने पर रू0 2 लाख तक प्रतिदिन के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है, जो कि उल्लंघन होने तक किया जा सकता है।
- धारा 57 (1) -किसी कंपनी/संस्थान के द्वारा उल्लंघन किये जाने पर कंपनी एवं उसके सभी संचालक/भारसाधक अधिकारी उल्लंघन के लिए दोषी समझे जायेंगे और तद्नुसार वे सभी उपर्युक्त अपराध के लिए दण्डित किये जा सकते हैं।
- विस्तृत जानकारी वेबसाईट http://www.upsbdb.org/ पर उपलब्ध है।
- अतः समस्त सम्बंधित को यह निर्देश दिया जाता है कि अधिनियम/नियम/विनियम का अनुपालन इस प्रकाशन के 30 दिन के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाये अन्यथा बाध्य होकर अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- लाभांश का 95 प्रतिशत भाग जैव विविधता प्रबंध समिति/कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रदेश के जन सामान्य से यह अनुरोध है कि आपकी जानकारी में कहीं जैव संसाधन आधारित उद्योग कार्यरत् हो तो विवरण सहित इस कार्यालय को अवगत करायें। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।

(पवन कुमार)
सचिव,
उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड, लखनऊ

upgov.nic.in
RO. No. 115743 date 17.03.2017